भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 TEN RUPEES Rs.10

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 96AC 161372

कार्यालय सब रजिस्ट्रार-प्रथम
मुजफ्फरनगर
नकल संख्या: 1652/2016
असल पर स्टाम्प: 810/-

लेखापत्र सं० 239 वर्ष 2015
विलेख की छाया प्रति संलग्न है।

कार्यालय
उप-निबन्धक-प्रथम
मुजफ्फरनगर

239

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 832179

ट्रस्ट डीड

स्टाम्प शुल्क : 810/- रू0

हम कि नवनीत भारद्वाज पुत्र श्री राममोहन भारद्वाज निवासी 85, साऊथ भोपा रोड नई मंडी जिला मुजफ्फरनगर (उ0प्र0) के हैं। चूंकि हम तथा हमारे सहयोगी एक संगठन बनाकर पहले से ही समाज के उत्थान, शिक्षा, चिकित्सा व धार्मिक कार्यों में सहयोग करते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमने अपनी स्वेच्छा से श्रीराम एजुकेशनल एंड चैरिटेबिल ट्रस्ट की स्थापना की है। इस ट्रस्ट का नाम **श्रीराम एजुकेशनल एंड चैरिटेबिल ट्रस्ट** होगा। हमारी इच्छा काफी समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लिये उच्च स्तरीय शिरक्षा संस्थान स्थापित करने की रही

क्रमशः .....

---

46 स्टाम्प विक्रय की तिथि 27/7/15
स्टाम्प की धनराशि 100
शामिल नं० 45 किया गया।
खेमचन्द (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाईसेन्स नं० 198 अवधि 31-3-2016

न्यास की राशि		फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
21,000.00		210.00	20	230.00	800

श्री नवनीत भारद्वाज
पुत्र श्री राममोहन भारद्वाज
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी 85, साऊथ भोपा रोड नई मण्डी शहर मुजफ्फरनगर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 28/7/2015 समय 11:52AM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
श्रीमती रश्मि प्रभा [नरेश कुमार नि0लि0]
उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर
28/7/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

श्री नवनीत भारद्वाज
पुत्र श्री राममोहन भारद्वाज
पेशा कृषि
निवासी 85, साऊथ भोपा रोड नई मण्डी शहर मुजफ्फरनगर

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान श्री अनन्त पुण्डीर
पुत्र श्री यशवीर सिंह पुण्डीर
पेशा शिक्षक
निवासी 138, कुन्दनपुरा शहर मु0नगर
व श्री अरविन्द
पुत्र श्री ऋषिपाल
पेशा शिक्षक
निवासी शेरनगर शहर मु0नगर
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
श्रीमती रश्मि प्रभा [नरेश कुमार नि0लि0
उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर
28/7/2015

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CN 693090

है। अतः हम स्वेच्छा से अंकन 21000/ रू0 (इक्कीस हजार रूपये) की प्रारम्भिक पूंजी जो ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी, से ट्रस्ट की घोषणा व स्थापना करते है। जिसे सिद्धांत, स्वरूप व संचालन आदि के लिये निम्नलिखित प्रकार से मर्यादित व व्यवस्थापना करते हैं:-

1. **नाम : ट्रस्ट का नाम 'श्रीराम एजुकेशनल एंड चैरिटेबिल ट्रस्ट'** होगा।

प्रधान कार्यालय : 85, भोपा रोड दक्षिणी तहसील व जिला मुजफ्फरनगर। ट्रस्ट के हित में लक्ष्य प्राप्ति के लिये प्रधान कार्यालय का भी स्थानान्तरण किया जा सकता है तथा भविष्य में ट्रस्ट की शाखा कार्यालय विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये जा सकते हैं।

2. **कार्यालय एवं कार्य क्षेत्र** : ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय 85, साऊथ भोपा रोड नई मंडी जिला मुजफ्फरनगर (उ0प्र0) होगा। ट्रस्ट के हित में लक्ष्य प्राप्ति के लिये प्रधान कार्यालय का भी स्थानान्तरण किया जा सकता है। भविष्य में ट्रस्ट के

स्टाम्प विक्रय की तिथि 27/7/15
स्टाम्प की धनराशि 100
शामिल नं० 45 किया गया।
रमेशचन्द (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाईसेन्स नं0 1?0 अवधि 31-3-2016

न्यासी

Registration No.: .239 Year: 2,015 Book No.: 4

0101 नवनीत भारद्वाज

रामगोहन भारद्वाज

85, साकेत मोया रोड नई मण्डी शहर मुजफ्फरनगर

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CN 693091

(3)

शखा कार्यालय विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये जा सकते हैं। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र पूरा भारत वर्ष रहेगा।

3. **उद्देश्य** : इस ट्रस्ट के स्वरूप में प्रत्युपकार, निर्पेक्ष, सार्वजनिक हित एवं सार्वकालिक एवं सर्वोतोन्मुखी शैक्षणिक विकास की उच्च दृष्टि विद्यमान है। ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-

(अ) सम्पूर्ण भारत वर्ष में शिक्षा की सेवा ही इसका प्रथम उद्देश्य है तथा उसमें कोई जाति वर्ण व लिंग, भेद-भाव आदि नही किया जायेगा।

(आ) विश्वविद्यालय, स्थानीय शासन, प्रादेशिक एवं केन्द्रीय ऐजेंसी से सम्बंध निम्न/उच्च/उच्चतर शिक्षण संस्थान स्थापित कर उच्च कोटि की आधुनिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्रदान करना।

क्रमशः .....

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CN 693092

(4)

(इ) मान कल्याण व मानवाधिकार की रक्षा के लिये योग, विद्या, वेदाध्ययन, योग व मेडिटेशन सम्बंधी अनुसंधान व उसके समस्त लाभ के लिये उसकी कक्षायें चलाना व उनकी उपयोगिता को प्रचारित करना एवं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिये प्रोद्योगिकी केन्द्र, प्रौढ शिक्षा व समानता के सिद्धांत से नि:शुल्क उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना तथा स्कूल एवं कॉलेज सम्बंधी व उनके विषयों को पढाना व आ रही समस्याओं का समाधान करके उनकी शिक्षण व्यवस्था कराना।

(ई) ट्रस्ट के आधीन चलने वाली अन्य सामाजिक संसथाओं के माध्यम से खुलने वाली शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं व सामाजिक कार्यक्षेत्र में देशकाल व पात्रता व परिस्थिति के अनुसार आर्थिक सहयोग प्रदान करना व सम्बंध बनाना।

(उ) तकनीकी, गैरतकनीकी, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर शिक्षा के लिये स्कूल, उच्चतर विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी उच्च महाविद्यालय,

क्रमशः .....

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये TEN RUPEES रु.10 Rs.10

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 67AC 014841

(5)

उच्चतर प्रौद्योगिकी विद्यालय एवं कॉलेज व वाचनालय की स्थापना करना।सैद्धान्तिक व प्रयोगात्मक कक्षाओं को चलाना व उनका प्रचार व प्रसार करना तथा स्वास्थय के क्षेत्र में अनुसंधान व उससे सम्बंधित कार्यक्षेत्रों को देखना व उन पर आवश्यक निर्णय लेना व समाज के कल्याणर्थ सेवायें प्रदान करना।

(ऊ) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति व समाजिक उत्थान के लिये पुस्तकालय स्थापित करना, विभिन्न समाचार व पत्रिकाओं की व्यवस्था करना, उनका प्रकाशन कराना व सारी व्यवस्थाऐं चलाना।

(ए) स्वविवेक उद्बोधन प्रक्रियायें आस्था केन्द्र स्थापित करना तथा धर्म के प्रति रूचि जागृत करना।

(ऐ) शिक्षा क्षेत्र व संस्था की स्थिति को सुदृढ करने वाली राष्ट्र उपयोगी योजनायें संचालिक करना तथा चिकित्सा सम्बंधी शिक्षा एवं मेडिकल अस्पतालों की स्थापना करना।

क्रमशः .....

(च) रोजगारोन्मुख कार्यों के अन्तर्गत प्रशिक्षित पुरूषों/महिलाओं को रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्रदान कराने हेतु जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैरसरकारी संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना।

( ) अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम, ग्रामीण वाचनालय/पुस्तकालय, बागवाडी/आंगनवाडी संचालन, वैकल्पिक उर्जा के कार्यक्रम, कौशल विकास के शिविर, शैक्षणिक भ्रमण, कानूनी सलाह आदि कार्यों का संचालन करना।

( ) महिलाओं एवं पुरूषों में नियमित खेलकूद की भावना जागृत करना एवं वैदिक संस्कृति को जन जन तक पहंचाने हेतु सांस्कृतिक प्रतियोगितायें, नाट्य शिविरों एवं योग शिविरों आदि का आयोजन करना।

( ) राष्ट्रीय विकास कार्यों में भगीदारी हेतु प्रतिरक्षा अभियान, परिवार कल्याण जनसंख्या शिक्षा, श्रमदान एवं स्थानीय योजनाओं के प्रति जानकारी एवं गम्भीर बीमारियों के प्रति जनचेतना उत्पन्न करना।

( ) सामाजिक कुरितियों के उन्मूलन हेतु संस्था द्वारा बाल विवाह, नशाखोरीरू दहेज प्रथा आदि के बारे में गोष्ठियों का आयोजन।

( ) पर्यावरण सुरक्षा हेतु पेडों की सुरक्षा, धुवरहित चूल्हे एवं सोलर कूकर का प्रचार व प्रसार, सुलभ शौचालयों का निर्माण, वृद्धावस्था आश्रम का निर्माण, विकलांग आश्रम, अनाथ आश्रम, कुष्ठ आश्रम का निर्माण एवं स्वच्छ पेयजल योजना सामाजिक योजनायें एवं कार्यक्रम संचालिक करना।

( ) ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा, उच्च शिक्षा व निम्न शिक्षा पीठ/विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकता है तथा उच्च व उच्चतर शिक्षा के प्रसार के लिये तथा उसकी शिक्षा व्यवस्था के लिये विश्वविद्यालयों से सम्बंधित नई तकनीकी व बेसिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था कराने के लिये उनके कोर्सो की फ्रैंचाईजी ले सकेगा तथा

क्रमशः .....

लक्ष्य तथा लक्ष्य की उपलब्धि की दृष्टि से अपने पाठ्यक्रम की परीक्षायें भी आयोजित कर सकेगा। राजकीय स्वीकृति एवं मान्यता तदर्थ प्राप्त कर सकता है।

4. **सम्पत्ति :** संस्थापक ट्रस्टी द्वारा प्रदत्त अंकन 21000/- रू0 प्राथमिक सम्पत्ति है। इस राशि में भविष्य में जो चल व अचल सम्पत्ति के तौर पर वृद्धि होगी, वह ट्रस्ट की सम्पत्ति कही जायेगी। वह वृद्धि ट्रस्ट के उद्देश्य प्राप्त करने के लिये क्रय व विक्रय से ब्याज, चंदे, किराये, उपहार, अनुदान, शुल्क व ऋण आदि के द्वारा व सशर्त निधि के द्वारा सहमति से प्राप्त की जा सकती है। सम्पत्ति बनाये गये उपनियमों के अन्तर्गत, उद्देश्यों के अनुसार मुख्य ट्रस्टी(संस्थापक) के विवेकानुसार लाभार्थियों पर व्यय की जायेगी। अचल सम्पत्ति का दृष्टिकोण भी चल सम्पत्ति जैसा माना जायेगा।

5. यह कि ट्रस्ट द्वारा स्थापित शिक्षालयों, संसथाओं का संचालन व्यवस्था इसी ट्रस्ट के द्वारा सीधे की जायेगी अथवा ट्रस्ट उनके लिये समितियां भी नियुक्त कर सकेगा तथा उन समितियों के अधिकार व कर्तव्य व नियम आदि निर्धारित करेगा।

6. **यह कि ट्रस्ट का संचालन :** ट्रस्ट की समग्र व्यवस्था व संचालन के लिये एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होगा, जिसमें संस्थापक सहित 5 ट्रस्टी होंगे। जो आगे बेढाये जा सकते हैं। प्रथम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज निम्न प्रकार होंगे जिन्होने अपनी स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. श्री नवनीत भारद्वाज पुत्र श्री राममोहन निवासी 85, साऊथ भोपा रोड नई मंडी, मुजफरनगर (उ0प्र0) **(अध्यक्ष)**

2. श्रीमति चारू पत्नी श्री नवनीत भारद्वाज निवासी 85 दक्षिणी भोपा रोड नई मंडी, मुजफरनगर (उ0प्र0) **(सचिव/कोषाध्यक्ष)**

इनके अलावा उपाध्यक्ष, सहसचिव तथा साधारण ट्रस्टी होंगे तथा सभी आजीवन ट्रस्टी/संरक्षक ट्रस्टी आपसी सहमति से किसी भी विशेष व्यक्ति को पांच वर्ष की समयावधि के लिये 90 प्रतिशत चुनाव पर ट्रस्ट के साधारण सदस्य के लिये नियुक्त कर सकते हैं तथा उन्हे हटाने का अधिकार भी आजीवन ट्रस्टी/संरक्षक ट्रस्टी को होगा।

क्रमशः .....

7. **यह कि ट्रस्टी दो प्रकार के होंगे :** आजीवन ट्रस्टी व साधारण ट्रस्टी। संस्थापक (अध्यक्ष) सहित तीन आजीवन सदस्य होंगे तथा मुख्य ट्रस्टी कहलायेंगे तथा शेष नियुक्त ट्रस्टी साधारण ट्रस्टी होंगे। आजीवन ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टीयों को छोडकर सभी ट्रस्टीयों के अधिकार व कर्तव्य सामान्य होंगे जो कि आजीवन ट्रस्टी द्वारा सर्वसम्मति से निर्धारित किये जायेंगे और उनका कार्य ट्रस्ट की व्यवस्था व संचालन में मुख्य ट्रस्टीयों का हाथ बंटाना होगा तथा साधारण ट्रस्टी का चयन आजीवन ट्रस्टी /संरक्षक ट्रस्टी की सर्वसम्मति से होगा।

8. **यह कि ट्रस्टी का कार्यकाल :** आजीवन ट्रस्टीयों को छोडकर अन्य सभी सामान्य ट्रस्टीयों का कार्यकाल पांच वर्ष का रहेगा। आजीवन ट्रस्टीयों की सहमति से साधारण ट्रस्टीयों का कार्यकाल बढाया जा सकता है तथा वर्तमान साधारण ट्रस्टी बिना कारण बताये किसी भी समय अपदस्थ किये जा सकते हैं तथा आजीवन ट्रस्टी/संरक्षक ट्रस्टी की सर्वसम्मति से नये ट्रस्टी नियुक्त किये जा सकते हैं।

इसके अलावा मुख्य ट्रस्टी भी सर्वसम्मति से बढाये या घटाये जा सकते हैं। जो कि समाज के प्रतिष्ठित लोग होंगे तथा इनका ट्रस्ट की सम्पत्ति से कोई लेना देना नही होगा।

ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल के संचालन के लिये एक समिति बनाई जायेगी जो इस ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगी तथा जिस पर ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा।

9. यह कि मुख्य ट्रस्टीयों का व्यक्तिगत अधिकार होगा कि वह अपने जीवनकाल में केवल अपने पारिवारिक सदस्यों को, अपनी मृत्यु के बाद वसीयत द्वारा अपने स्थान पर अपने पारिवारिक व्यस्क सदस्यों को मुख्य ट्रस्टी नियुक्त कर दें। अन्य मुख्य ट्रस्टी या ट्रस्टी को कोई अपत्ति नही होगी। नये मुख्य ट्रस्टी को पुराने मुख्य ट्रस्टी की तरह ही सभी अधिकर प्राप्त होंगे।

10. यह कि यदि मुख्य ट्रस्टी अपने जीवनकाल में या वसीयत द्वारा अपने स्थान पर मुख्य ट्रस्टी की घोषणा नही करता तब उसकी मृत्यु के पश्चात मुख्य ट्रस्टी घोषित होने के लिये वरीयता क्रमशः ज्येष्ठ पुत्र, पत्नी, पुत्री, पिता, माता, भाई, बहन, पुत्रवधू या वारिस को प्राप्त होगी।

क्रमशः .....

11. यह कि ट्रस्ट की बैठकों का प्रधान तथा उनका संचालन क्रमशः अध्यक्ष व सचिव करेंगे। यदि मुख्य ट्रस्टी किसी कारण से बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ है तो उस दशा में मुख्य ट्रस्टी के स्थान पर उनके द्वारा नामित ट्रस्टी बैठक की अध्यक्षता कर सकेंगे तथा निर्णय लेकर मुख्य ट्रस्टी से सहमति प्राप्त करके कार्य को सुचारू रूप से चलाते रहने में मदद करेंगे। ट्रस्ट की बैठकों के सम्बंध में विस्तृत नियमावली बोर्ड ऑफ ट्रस्ट बनावेगा जो कि इस ट्रस्ट डीड का भाग मानी जायेगी।

12. यह कि ट्रस्ट व उसके द्वारा स्थापित संस्थायें व विभिन्न कार्यों के सफल संचालन के लिये मुख्य ट्रस्टी अपने विवेक से एक या एक से अधिक समिति/उपसमिति का गठन कर सकते हैं तथा उसे भंग कर सकते हैं। नियुक्त समिति अपने कार्य के लिये सीधे तौर पर आजीवन ट्रस्टी/ मुख्य ट्रस्टी के प्रति जवाबदेह रहेगी।

13. यह कि ट्रस्ट अथवा समिति के लिये बुद्धिमान, सद्भावी, अनुशासनप्रिय सहयोगी मनोवृत्ति वाले सेवा परायणविज्ञ तथा परम सत्य को मानने वाले सदस्य ही लिये जायेंगे।

14. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में उपस्थित ट्रस्टीज का बहुमत का 3/4 मान्य होगा तथा उनके द्वारा पारित प्रस्ताव/निर्णय को मुख्य ट्रस्टीयों से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक होगा। मुख्य ट्रस्टी किसी भी प्रस्ताव/निर्णय को स्वीकार/अस्वीकार अथवा विरोध किये जाने के लिये स्वतंत्र होंगे तथा उनका 80 प्रतिशत स्वीकृति/निर्णय अंतिम निर्णय होगा। जो निर्णय मुख्य ट्रस्टी की अनुमति के बिना लिये जायेंगे, वो अवैध माने जायेंगे।

15. यह कि सभी प्रकार के ट्रस्टी अथवा समिति के सदस्यों की अहर्यता निम्न कारणों से समाप्त मानी जायेगी:-

(1) सदस्य के पागल होने पर।

(2) त्यागपत्र स्वीकार होने पर।

(3) न्यायालय द्वारा किसी भी अनैतिक कार्य के लिये दोषी पाये जाने पर।

(4) न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित होने पर।

(6) ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर अथवा ऐसी गतिविधियों में सक्रिय पाये जाने पर।

सदस्यता समाप्त मानी जायेगी तथा उनके स्थान पर उनके वारिस अर्थात पुत्र, पुत्री, पत्नी, पिता, माता, भाई, बहन, पुत्रवधू आदि को संरक्षक /अजीवन ट्रस्टी बनाया जायेगा।

16. यह कि ट्रस्ट व समितियों के सभी निर्णयों को क्रियान्वित करने व कराने का दायित्व अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का होगा। उपाध्यक्ष को व्यवस्थापक माना जायेगा और वह अपने सहयोग के लिये वैतनिक/अवैतनिक सहायक रख सकेगा। वेतन का निर्धारण बैठक में ट्रस्ट के उपलब्ध संसाधनों व पात्रता के आधार पर होगा। यदि कोई ट्रस्टी तकनीकी या शिक्षा सम्बंधी उद्देश्यों की प्राप्ति में ट्रस्ट के लिये अतिरिक्त समय देता है और उसका हर्जा होता है तो उस दशा में मुख्य ट्रस्टी अपने विशेषाधिकार से उसे कार्य के बदले उचित पारिश्रमिक दे सकते हैं परंतु उसके लिये ट्रस्टी के पास विशेष योग्यता होनी आवश्यक है।

17. यह कि ट्रस्ट की संचालन व्यवस्था कार्यकलाप व गतिविधियों के लिये उद्देश्यों के सन्दर्भ में भारतीय सॅविधान के अन्तर्गत देशकाल के अनुरूप आवश्यकता पडने पर नियम व उपनियम बनाने, उनमें परिवर्तन आजीवन न्यासियों की सहमति से किया जा सकेगा।

18. यह कि ट्रस्ट कोई व्यवसायिक कार्य ट्रस्ट के हित में देशकाल, पात्र परिस्थितियों के अंनुसार कर सकता है।

19. यह कि ट्रस्ट की आय व व्यय का पूरा ब्यौरा रखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष/सचिव की होगी।

20. यह कि ट्रस्ट की धनराशि को सार्वजनिक बैंकों में जमा कराया जायेगा तथा अन्य प्रतिभूतियों में भी रखा जा सकता है। सम्बंधित नियमों के अन्तर्गत जैसा समयानुसार आवश्यक हो उपरोक्त ट्रस्ट के लिये, धन की व्यवस्था व लेन देन मुख्य ट्रस्टी (संस्थापक) अपने विवेक से करेंगे। जो भी धनराशि जहां जमा होगी उसको कोई भी दो संरक्षक ट्रस्टी /नामित मुख्य ट्रस्टी अपने संयुक्त हस्ताक्षरों से निकाल सकेंगे। ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण ले सकता है।

21. यह कि ट्रस्ट की धनराशि किसी विश्वविद्यालय, औद्योगिक संस्था या फर्म आदि में ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार यदि उचित हो तथा उसका विनियोजन करना आवश्यक हो तो ऐसा किया जा सकता है। मुख्य ट्रस्टी अपने संयुक्त निर्णय व सहमति से ऐसा कर सकेंगे। एकल अधिकार नही होगा तथा इनकी सहमति से अन्य न्यासियों की मीटिंग बुलाकर उसे पास करा लेंगे।

22. यह कि किसी कारणवश ट्रस्टीगण इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ट्रस्ट की संचालन व व्यवस्था में ट्रस्टीगण व आजीवन ट्रस्टीगण कारगर नही हो पा रहे हैं अथवा कोई अपनी मजबूरी हो अथवा कोई कानूनी स्थिति बने उस दशा में आजीवन ट्रस्टी व उस समय के ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वें 6 माह का नोटिस देकर इस ट्रस्ट को सक्रिय व योग्य व्यक्ति को उपट्रस्टी बनाकर एक निश्चित समय के लिये कार्य चलवायें तथा कोई ट्रस्टी अगर ट्रस्ट छोडना चाहता है अर्थात त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे ट्रस्ट की कार्यकारिणी को 6 माह पूर्व एक नोटिस द्वारा अवगत कराना होगा।

23. यह कि किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता होने पर या आजीवन ट्रस्टी की सहमति व अन्य ट्रस्टी की राय के अनुसार मुख्य ट्रस्टी/ट्रस्टीयों को यह अधिकार होगा कि वे ट्रस्ट की सम्पत्ति ट्रस्ट के हित में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये विक्रय कर सकते हैं, किराये पर दे सकते हैं अथवा उसका तबादला कर सकते हैं अथवा उसे खाली करा सकते हैं। यदि आवश्यक हो विनियोजित व स्थाई सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकेगा। मुख्य ट्रस्टी की सर्व सहमति व हस्ताक्षरों से ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये भूमि भवन आदि अचल सम्पत्ति कभी भी क्रय-विक्रय की जा सकती है। सम्पत्ति क्रय करने की दशा में मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर पर्याप्त होंगें।

24. यह कि यदि धारा 3 में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्त किसी कारणवश नही की जा सकती और उसका आगे क्रियान्वयन किया जाना सम्भव नही रह गया है और ट्रस्टी व संस्थापक द्देश्यों की प्राप्ति में समय नही दे रहे हैं अथवा कोष के संसाधन समाप्त हो गये हैं और मामला किसी कानूनी क्रियाओं में अथवा वाद में फंस गया हो तो उस विपरीत स्थिति में मौजूदा ट्रस्ट को समाप्त किया जा सकता है तथा सभी ट्रस्टीयों ने इस ट्रस्ट में जो

भी अपना सहयोग धन व सम्पत्ति आदि से दिया है और विनियोजित किया है, सबसे पहले उसको क्षतिपूर्ति सहित उनकी धनराशि व सम्पत्ति वापस कर दी जायेगी एवं ट्रस्टी यदि कोई सम्पत्ति अथवा धन आदि अपने निजी आय से खर्च करते हैं अथवा ट्रस्ट में दिया है, ट्रस्ट के समाप्त होने पर उसे वापस पाने के अधिकारी होंगे।

25. यह कि ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति के लिये केवल मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि कोई भी व्यक्ति सार्वभौमिक अपनी सेवायें अथवा धन अथवा सम्पत्ति देना चाहता है परंतु उद्देश्य की प्राप्ति की भावना विपरीत ना हो तो अनुकूल शर्तों के अधीन उसकी सम्पत्ति धन व सेवायें ली जा सकती हैं और यदि वह सशर्त है तो उनको वापस भी किया जा सकता है और उनका लाभ भी यदि देय हो तो ऐसा किया जा सकता है।

26. यह कि मुख्य ट्रस्टीयों को अधिकार होगा कि वे ट्रस्ट या समिति द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी / शिक्षक / अधिकारी / शिक्षार्थी या व्यक्ति चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो, को अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत संस्था से निष्कासित कर दें, जिनके लिये उनहे किसी प्रमाण की आवश्यकता नही होगी।

27. सभी प्रकार के विवादों के लिये क्षेत्राधिकार जनपद मुजफ्फरनगर होगा।

28. यह कि ट्रस्ट में जो भी कार्य करेंगें वह उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये समर्पण की भावना से दिया गया कार्य माना जायेगा तथा उस पर रोजगार आदि कानून लागू नही होंगे क्योंकि ट्रस्ट सेवार्थ हितार्थ की भावना से तथा मिले हुए चदे, दान व सशर्त मिली अनुदान विधि पर आधारित है, तथा यह सार्वजनिक संस्था व व्यापारिक केन्द्र नही है।

अत: ट्रस्ट डीड लिख दी है। प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

इति।

....

साक्षी .... साक्षी ....

तहरीर तारीख : 28/7/15

ड्राफ्टकर्ता : पकंज कपूर एडवोकेट, तहसील सदर, मुजनगर

Pankaj Kapoor
Advocate
Chamber No 17
Tehsil Sadar, Muzaffarnagar

आज दिनांक 28/07/2015
वही सं. 4 जिल्द सं. 168
पृष्ठ से 181 से 204 पर कमांक 239
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्रीमती रश्मि प्रभा [नरेश कुमार नि0लि0]

28/7/2015

तै0 कर्ता - अनिल सिंह
मि0 कर्ता - नरेश कुमार

छाया प्रति सत्यापित
सब रजिस्ट्रार-प्रथम
मुजफ्फरनगर